भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3500
दिनांक 25 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

ग्लोबल जेण्डर गैप इन्डेक्स में भारत का स्थान

3500. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम द्वारा प्रकाशित किए गए ग्लोबल जेंडर गैप इन्डेक्स में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत किस स्थान पर है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) स्वास्थ्य, आर्थिक सहभागिता, शिक्षा और राजनैतिक हिस्सेदारी के क्षेत्रों में जैंडर गैप कितना है और इसे दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) वर्तमान स्थिति को देखते हुए जैंडर गैप को दूर करने में कितना बजट तथा समय लगने की संभावना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम द्वारा प्रकाशित किए गए ग्लोबल जेंडर गेप इन्डेक्स रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, भारत एक में से 0.668 के स्कोर के साथ 153 देशों में से 112वें स्थान पर है । ग्लोबल जेंडर गेप इन्डेक्स रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का स्थान 0.665 के स्कोर के साथ 149 देशों में से 108 वां था। अत: भारत की प्रदर्शक में 2018 में 0.665 से 2020 में 0.668 तक की बढोतरी है ।

(ख) : ग्लोबल जेंडर गेप इन्डेक्स (जीजीजीआई) में चार पहलू अर्थात (I) आर्थिक भागीदारी और अवसर (II) शैक्षिक उपलब्धि (II) स्वास्थ्य और उत्त्रजीविता और (iv) राजनीतिक सशक्तीकरण शामिल हैं । जीजीजीआई के गणनात्मक तंत्र के अनुसार, इन चार पहलुओं में से प्रत्येक पर सर्वोच्च निष्पादन स्कोर-। है । जीजीजीआई रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, भारत ने आर्थिक भागीदारी और अवसर में 0.354, शैक्षिक उपलब्धि में 0.962, स्वास्थ्य और उत्तर जीविता में 0.944 और राजनीतिक सशक्तीकरण में 0.411 का स्कोर हासिल किया है ।

इस सूची में भारत की स्थिति को सुधारने के लिए इस मंत्रालय ने दो स्तरीय कार्यनीति (i) जीजीजीआई की प्रकाशन एजेन्सी अर्थात विश्व आर्थिक फारम के साथ शामिल होकर निष्पादन की निगरानी (ii) संबंधित मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से सुधार क्षेत्रों और सुधार कार्यवाहियों का चिन्हीकरण को अपनाया है। भारत सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के सभी पहलुओं में लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए शुरू की गई कुछ प्रमुख पहले निम्नलिखित है :

आर्थिक भागीदारी और अवसर तथा स्वास्थ्य और उत्तरजीविता - महिला विकास और सशक्तीकरण के लिए शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें निम्नलिखित है :

- बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी) बालिका के संरक्षण, उत्तरजीविता और शिक्षा को सुनिश्चित करती है ।
- महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) कौशल विकास और राजेगार के अवसरों के साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है ।
- कामकाजी महिला छात्रावास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करती है ।
- किशोरी स्कीम 11 से 18 वर्ष की आयु की लडकियों को सशक्त बनाने और पोषण, जीवन कौशल, घरेलू कौशल ओर रोजगार प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने का लक्ष्य रखती है ।
- महिला पुलिस स्वयं सेवक (एमपीवी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस स्वयं सेवकों की सेवाएं लेने की परिकल्पना करती है जो पुलिस और समुदाय के बीच कडी के रूप में कार्य करती है और संकट में पडी महिलाओं की सहायता को सुगम बनाती है ।
- राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) एक सर्वोच्च माइक्रो वित्त संगठन है जो विभिन्न आजीविका और आय सृजन गतिविधियों के लिए गरीब महिलाओं को रियायती दरो पर माइक्रो ऋण की व्यवस्था करता है ।
- राष्ट्रीय क्रेच स्कीम यह सुनिश्चित करती है कि महिलाएं बच्चों को सुरक्षित, संरक्षित और प्रोत्साहनजनक वातावरण प्रदान करके लाभदायक रोजगार प्राप्त करे ।
- प्रधानमंत्री मातृ वदना योजना का लक्ष्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना है ।
- प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि घर महिलाओं के नाम पर भी हों।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेकेवीवाई) का लक्ष्य बेहतर आजीविका को सुरक्षित करने में उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए महिलाओं सहित भारी संख्या में भारतीय युवाओं को सक्षम बनाना है ।
- दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) का लक्ष्य ऐसे अवसर सृजित करना है जिनसे बाजार आधारित रोजगार प्राप्त हो सके ।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना - महिलाओं को सशक्त बनाती है और उन्हे नि:शुल्क एनपीजी सिलेंडर प्रदान करके उनके स्वास्थ्य की रक्षा करती है ।
- सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) इस स्कीम के अंतर्गत लडकियों को उनके बैंक खाते खोलकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है ।
- कौशल विकास और महिला कोर योजना एमएसएमई का एकमात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य कोयर उद्योग में संलग्न महिला शिल्पकारों का कौशल विकास करना है ।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) यह एक प्रमुख ऋण संबंधी आर्थिक सहायता कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य गैर फार्म क्षेत्र में माइक्रो उपक्रम की स्थापना के माध्यम से स्व:रोजगार के अवसर सृजित करना है ।
- महिला उद्यमिता - महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्टैंड अप इंडिया ओर महिला ई-हाट (महिला उद्यमियो/एसएचजी/एनजीओ की सहायता के लिए आनलाइन मार्किटिंग प्लेटफार्म), उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसएसडीपी) जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) माइक्रो/लघु व्यवसाय के लिए संस्थागत वित्त तक पहुंच प्रदान करती है ।

शैक्षिक उपलब्धि - स्कूली शिक्षा प्रणाली में विभिन्न कदम और पहलें जैसे कि राष्ट्रीय करिकुलम फेमवर्क (एनसीएफ) 2005, और फलैगशिप कार्यक्रम जैसे कि समग्र शिक्षा तथा इसके बाद शिक्षा का अधिकार

अधिनियम (आरटीई) शुरू की गई है । शैक्षिक रूप से पिछडे ब्लॉको (ईबीबी) में कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं। लैंगिक सुग्राहीकरण भी किया जाता है जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता मोडयूल भीतरी सेवा प्रशिक्षण का भाग लडकियों के लिए शोचालयों का निर्माण, महिला टीचरों के लि आवासीय क्वाटरो का निर्माण और पाठयक्रम सुधार शामिल है ।

राजनीतिक भागीदारी – महिलाओं को बुनियादी स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की है । महिलाओं को शासन प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भागीदार बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय की चयनित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) सहित पंचायत हितधारकों का क्षमता निर्माण किया गया है ।

(ग) : लैंगिक बजट 2005 से भारत के केंद्रीय बजट का भाग बन गया है जो महिलाओं को समर्पित कार्यक्रमों/स्कीमें के लिए निधि आवंटन को आवश्यक बनाता है । इस प्रयास के माध्यम से सरकार सभी क्षेत्रों और शासन के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को दूर करने पर ध्यान देते हुए लैंगिक विषमता/समानता को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है । जेंडर बजट विवरण के अनुसार, सरकर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 153326.28 करोड रूपये अलग से रखे हैं जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के सभी पहलुओं में लैंगिक अंतर को कम करने का लक्ष्य रखते हुए स्कीमें/कार्यक्रमों के प्रति मंत्रालयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुल बजट का 4.4 प्रतिशत है ।

*****